

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/-



राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष नं. :- 2227514, 2227651, 5106516

CIN No. U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org

आवश्यकतानुसार टैक्सी

उपलब्ध कराने के लिए

निविदा प्रपत्र

2018-19

अमानत राशि रू. 8,000/-

निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 08.06.2018 समय 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 08.06.2018 समय 3.00 बजे

Handwritten signature




राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर

CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website-

www.rajseeds.rajasthan.gov.in

Phone No. (0141) 5106516



वाहन टैक्सी मॉग आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पूर्ण पता
3. दूरभाष संख्या
4. स्थायी आयकर खाता संख्या
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. जी.एस.टी.नं. पंजियन संख्या
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित दरें पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगी एवं सलग्न शर्तें मान्य होगी।
7. निगम को प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने हेतु दर प्रस्ताव

निविदा की शर्तों की पालना करते हुए मैं/हम निम्न वाहन/टैक्सी हेतु निम्नलिखित दर प्रस्तुत करते हैं :-

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किमी.		स्थानीय कार्य हेतु दर प्रतिदिन अधिकतम 100 किमी	रात्रि चार्ज	विशेष विवरण
		AC	NON-AC			
1.	इटियोस (टोयटा)					
2.	इनोवा					
3.	स्विफ्ट डिजायर					
4.	मारुति ब्रिजा					

+ सेवा कर/जी.एस.टी यथालागु अतिरिक्त देय होगा।

(Handwritten signature)

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा नाम मय पता व फर्म की सील



राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर

CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website-

www.rajseeds.rajasthan.gov.in

Phone No. (0141) 5106516



नियम एवं शर्तें

1. अमानत राशि रू. 8,000/- फार्म के साथ जमा कराने होंगे अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं होगा।
2. आवश्यकतानुसार वाहन माँगने पर वाहन तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।
3. धरोहर राशि कार्यआदेश राशि की 5 प्रतिशत जमा करानी होगी।
4. किसी प्रकार की टूटफूट होने पर या दुर्घटना होने पर राजस्थान राज्य बीज निगम उत्तरदायी नहीं होगा। इसके लिए वाहन मालिक एवं स्वयं की जिम्मेदारी होगा।
5. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर या यातायात नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप कार्यवाही/चालान होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं निगम इसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
6. वाहन की टंकी में ईंधन फुल करवाकर वाहन भिजवाना होगा।
7. वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति बिना नहीं खोला जावेगा। यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
8. जी.एस.टी यथा लागू अतिरिक्त देय होगा, जिसे बिल में चार्ज करना होगा।
9. जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त प्रकार के करों का दायित्व वाहन मालिक का होगा।
10. राजस्थान राज्य बीज निगम की शर्तों एवं नियमों के अलावा कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
11. वांछित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाने पर न्यूनतम 250 किलोमीटर प्रतिदिन का भुगतान किया जावेगा।
13. यात्रा दिवस को वाहन की मीटर रिडिंग कार्यालय से कार्यालय तक मानी जावेगी। यात्रा स्थान जयपुर में कहीं भी स्थित हो अधिकारी के निर्देशानुसार ही वाहन को यात्रा हेतु उपलब्ध करवाना होगा।
14. किसी भी तरह विवाद की स्थिति में RTPP ACT के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव(कृषि) अपील अधिकारी होंगे।
15. न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
16. पेनल्टी :- वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर बाजार से वाहन लिया जावेगा जिसके अन्तर राशि फर्म से मय रू. 500/- पेनल्टी के साथ वसूल की जावेगी।
17. निविदा के कार्य संतोषजनक न होने पर प्रबन्ध निदेशक को निविदा निरस्त करने एवं अमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर